राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बजट वर्ष 2013–14

बजट वर्ष 2013–14 के मुख्य बिन्दु

वर्ष 2013–14 का बजट मुख्यमंत्री राजस्थान ने, जो कि प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, विधानसभा में दिनांक 6 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया। यह बजट तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य के एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित वित्तीय मापदण्डों को पूरा करता है। इन मापदण्डों में प्रमुख हैं, राजस्व घाटा नहीं होना, राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से कम होना एवं राज्य के कुल ऋण एवं देनदारियां, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 37.3 प्रतिशत से कम होना। वित्तीय मापदण्डों की दृष्टि से बजट की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार हैं:–

- वर्ष 2013–14, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है, हेतु बजट में 40 हजार 139 करोड़ रुपये का उद्व्यय प्रस्तावित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आगामी वर्ष की प्रस्तावित योजना, वर्ष 2012–13 की अनुमोदित योजना से 19.82 प्रतिशत अधिक है।
- चालू वर्ष की वार्षिक योजना बजट अनुमानों में 33 हजार 141 करोड़ 35 लाख रुपये की रखी गई थी तथा संशोधित अनुमानों में योजना का आकार 36 हजार 363 करोड़ 78 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।
- वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों में 771 करोड़ 97 लाख रुपये का अधिशेष। वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष 1 हजार 25 करोड़ 86 लाख रुपये।
- वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 11 हजार 203 करोड़ 1 लाख रुपये। वर्ष 2013–14 का राजकोषीय घाटा 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख रुपये।
- चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का राजकोषीय घाटा 2.34 प्रतिशत। वर्ष 2013–14 का राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.48 प्रतिशत रहना अनुमानित।
- चालू वर्ष के बजट में संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का बजटीय अधिशेष 226 करोड़ 44 लाख रुपये तथा वर्ष 2013–14 के बजट में बजटीय अधिशेष 336 करोड़ 52 लाख रुपये रहना अनुमानित।
- आगामी वर्ष के बजट में कुल राजस्व आय 77 हजार 220 करोड़ 60 लाख रुपये रहने की संभावना है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 22.29 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं की कर राजस्व 26 हजार 832 करोड़ 31 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2013–14 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व 34 हजार 53 करोड़ 13 लाख रुपये अनुमानित की गई है जोकि 26.91 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2013–14 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व 6.47 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 9 हजार 241 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.97 प्रतिशत है।
- पूंजीगत परिव्यय के मदों में वर्ष 2013–14 में कुल 14 हजार 55 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जो बजट अनुमानों में प्रस्तावित 9 हजार 689 करोड़ 18 लाख रुपये के प्रावधान से 45.07 प्रतिशत अधिक है।

विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों हेतु
बजट में की गई प्रमुख घोषणायें

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं समकक्ष सुविधा प्राप्त कर रहे परिवारों की सभी महिलाओं को 2–2 साड़ियां एवं पुरुषों को 1–1 कंबल।
- पालनहार योजना के अंतर्गत सहायता राशि, 675 से बढ़ाकर 1000 रुपये।
- सामान्य जाति के युवक–युवती द्वारा अनुसूचित जाति में विवाह करने पर 5 लाख रुपये।
- अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों एवं अन्य संस्थानों हेतु प्रतिमाह देय मैस भत्ते की दरों में वृद्धि, 1250 रुपये से 1750 रुपये।
- 1000 संबल गाँवों के समग्र विकास हेतु 300 करोड़ रुपये की योजना।
- खैरवा समुदाय के कल्याण हेतु विशेष कार्य योजना।
- TSP क्षेत्र हेतु 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज।
- ऋषभदेव, मानगढ़ धाम एवं बेणेश्वर धाम के विकास हेतु 5–5 करोड़ रुपये।
- TSP क्षेत्र में 3629 स्वास्थ्य सहयोगिनियों की नियुक्ति।
- मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के पुराने ऋण एवं ब्याज माफ।
- 5000 मछुआरों को नावें व जाल इत्यादि का वितरण।
- तेंदू पत्ता सहकारी समितियों के कर्ज एवं ब्याज माफ।
- राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय को निर्माण कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये।
- बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाली, गनोड़ा से बेणेश्वर एवं लुहारिया से बेणेश्वर तक की सड़कों का विकास।

कर्मचारी

- भरतपुर में क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय की स्थापना।
- भटनागर कमेटी की सिफारिशें लागू।
- छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू। बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 जुलाई 2013 से।
- फरवरी 2006 से जून 2006 के दौरान वेतन वृद्धि होने की स्थिति में, 1 जनवरी 2006 को पुराने वेतनमानों में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ। आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को देय।

- 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2013 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों में 1 जनवरी 2006 से वेतन स्थिरीकरण का लाभ मिलने के कारण बढ़ी हुई पेंशन का 1 जुलाई 2013 से भुगतान।
- वर्दी एवं धुलाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

किसान

- 5000 डिग्गियों तथा 10000 फार्म पांड्स के निर्माण हेतु अनुदान के पेटे 225 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उर्वरकों का अग्रिम भंडारण, यूरिया 3 लाख मैट्रिक टन, डीएपी 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन।
- कृषि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 1500 कृषि पर्यवेक्षकों तथा 300 सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का सृजन।
- कोटा, जोबनेर (जयपुर) एवं जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
- भीलवाड़ा व भरतपुर में कृषि महाविद्यालय।
- लाडनूं में कृषि विषय में डिप्लोमा कोर्स हेतु संस्थान।
- जैविक खेती को बढ़ावा।
- जयपुर में Agri-Market Intelligence and Business Promotion Centre की स्थापना।
- बीकानेर एवं जोधपुर में मेगा फूडपार्क।
- फल एवं सब्जियों का विक्रय मंडी में करने की बाध्यता समाप्त।
- बूंद–बूंद सिंचाई हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 10000 सोलर पंप सैटों की स्थापना हेतु 280 करोड़ रुपये का अनुदान।
- चंबल की बीहड़ भूमि को समतल कर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वर्ष 2013–14 में 15000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य।
- 1 लाख 50 हजार रुपये के फसली ऋण ब्याज मुक्त।
- राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना।
- किसानों के बकाया दीर्घकालीन ऋणों का चुकारा 31 दिसंबर 2013 तक करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट।
- समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद पर 100 रुपये के स्थान पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पशुपालक

- मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना में उपलब्ध कराई जा रही औषधियों की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 की जायेगी।
- राजस्थान वेटरनरी सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना।
- 400 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जायेंगे
- 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 500 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि।
- राजस्थान गौ सेवा आयोग को 1 करोड़ रुपये का अनुदान।
- विभिन्न जिला दुग्ध संघों में 500 बल्क मिल्क कूलरों की 40 करोड़ रुपये की लागत से व्यवस्था की जायेगी।
- घड़साना में 4 करोड़ रुपये की लागत से चिलिंग प्लांट की स्थापना।
- बाड़मेर जिले में 4 करोड़ रुपये की लागत से 25000 किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध संयंत्र की स्थापना।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की जाकर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान का प्रावधान।

उद्योग

- उदयपुर में फार्मास्यूटिकल जोन के लिए 64 एकड़ भूमि विकसित की जायेगी, जिसमें 700 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- जयपुर में ऑटोमोबाईल सर्विस काम्पलेक्स के लिए 92 एकड़ भूमि विकसित की जायेगी, जिसमें 160 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- विभिन्न जिलों में 10 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।
- राजस्थान वित्त निगम की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जायेगा।
- Special Investment Region Act बनाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 10000 नये उद्यमों की स्थापना।

- सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5–5 करोड़ रुपये की लागत से हैंडलूम एवं खादी प्लाजा की स्थापना की जायेगी।
- राजसीको, बुनकर संघ, खादी बोर्ड एवं राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम के वित्तीय पुनर्गठन हेतु 5–5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

युवा एवं रोजगार

- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 3 लाख युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण।
- विभिन्न पारंपरिक एवं अन्य कार्यों में नियोजित युवक–युवतियों को रोजगार हेतु on the job training.
- 2 लाख युवक–युवतियों को स्वरोजगार हेतु रोजगार किट।
- 10000 युवाओं को मोटर ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण।
- 25 नये ITI की स्थापना।
- बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- 15 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- बजट में शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गों के 1 लाख 50 हजार से अधिक पदों का सृजन।

महिला एवं बाल विकास

- राजकीय उपक्रमों के निदेशक मंडलों में एक–तिहाई महिलाओं का मनोनयन।
- सामुहिक विवाह योजना में वधु को देय 4500 रुपये को बढ़ाकर 10000 रुपये करना एवं आयोजकों को देय 1500 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिजोड़ा करना।
- पृथक बाल निदेशालय की स्थापना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को 2–2 जोड़ी यूनिफोर्म का वितरण।
- स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार हेतु 10–10 हजार रुपये का अनुदान।
- शुभ लक्ष्मी योजना की घोषणा। बालिको के जन्म पर 1000 रुपये, 1 वर्ष की आयु होने पर 1000 रुपये, 5 वर्ष की आयु होने पर 2000 रुपये की राशि देय होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मासिक मानदेय में 500 से 700 रुपये की वृद्धि। इनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु 100 करोड़ रुपये के विशेष कोष का गठन।

अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा। प्रारंभिक अंशदान 200 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों हेतु केन्द्र सरकार का Multi-sectoral Development Programme. प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10–10 करोड़ रुपये के विकास कार्य।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के विकास खंडों में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक छात्रावास।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय।
- वक्फ बोर्ड हेतु 10 करोड़ रुपये।
- हज़ हाऊस हेतु 5 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण के विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपये।
- 1500 कंप्यूटर पैराटीचर्स एवं 1500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती।
- मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में 600 से 800 रुपये की बढ़ोतरी।
- अल्पसंख्सक बालिकाओं हेतु 'स्कूटी' योजना।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 नये ITI
- जोधपुर में दस्तकार योजना।

ग्रामीण

- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार, राज्य सरकार के खर्चे से।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति निर्माण निधि का गठन।
- अन्त्योदय परिवारों को भी बीपीएल परिवारों के समान सुविधायें।
- डांग एवं मगरा योजना में 50–50 करोड़ रुपये एवं मेवात योजना में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जनभागीदारी विकास योजना हेतु प्रावधान 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना।
- 10000 से अधिक जनसंख्या वाले 81 गांवों में मास्टर प्लान के अनुरूप 1–1 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।
- 25000 बायो गैस प्लांट्स के लिए 12000 रुपये प्रति इकाई की दर से अनुदान।
- सामान्य क्षेत्र के 250 से 499 तक की आबादी के 1400 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना।
- नये राजस्व गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना। प्रथम चरण में 172 करोड़ रुपये की लागत से 195 गाँवों को जोड़ना।

- 100 से अधिक एवं 250 से कम आबादी के 500 गाँवों को, 585 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों से जोड़ना।
- 4000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 3 फेज विद्युत आपूर्ति ।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100 से 300 तक की आबादी की 15149 ढाणियों हेतु 1356 करोड़ रुपये की 32 परियोजनायें केन्द्र को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
- 100 से कम आबादी की ढाणियों में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 1 लाख विद्युत कनेक्शन हेतु वितरण निगमों को 400 करोड़ रुपये का अनुदान।

पत्रकार

- पत्रकार–साहित्यकार कोष तथा कलाकार कोष में 5–5 करोड़ रुपये का अंशदान।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को मासिक सहायता राशि के भुगतान हेतु पात्रता आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप।
- डीपीआर की विज्ञापन दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- धौलपुर एवं सिरोही में सूचना केन्द्रों की स्थापना।

सैनिक

- युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु कारपस फण्ड में 2 करोड़ रुपये का अंशदान।
- बहरोड में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण एवं चिड़ावा के सैनिक विश्राम गृह का विस्तार।

स्वतंत्रता सैनानी

- स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन तथा चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि।

आम नागरिक

- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूँ।
- उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रतिकिलो की दर से चीनी।
- एपीएल परिवारों को 5 रुपये प्रतिकिलो की दर से आटा।

वृद्ध

- राजस्थान वृद्धाश्रम योजना की घोषणा। जिला मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों पर वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु क्रमशः 1 करोड़ रुपये एवं 50 लाख रुपये तक का अनुदान। संचालन हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह प्रतिआवासी की दर से सहायता।
- वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त।

विशेष योग्यजन

- प्रदेश के 13 जिलों अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का संचालन।
- 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' की घोषणा।
- विशेष योग्यजन पेंशन योजना का सरलीकरण।

विशेष पिछड़ा वर्ग

- देवनारायण योजना का पैकेज 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने की घोषणा।

शिक्षा

- 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलना।
- 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना।
- 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोलना।
- तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20000, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 10000 एवं शारीरिक शिक्षकों के 5000 पदों का सृजन।
- अंग्रेजी विषय के 1200, हिन्दी विषय के 1500 एवं अन्य विषयों के 2000 व्याख्याताओं के पद सृजन।
- उर्दू विषय में व्याख्याताओं के 1000 तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 1000 पदों का सृजन।
- ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत 5 रुपये के स्थान पर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस।
- राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार। कक्षा आठवीं में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवें स्थान पर रहने वाले बालक–बालिकाओं को टेबलेट – पीसी का वितरण।
- सतत शिक्षा केन्द्रों पर महात्मा गांधी वाचनालयों के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये।

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोतरी।
- शैक्षिक सहायकों के नवीन संवर्ग का गठन कर 40000 पदों का सृजन।
- प्रबोधकों के 10000 पदों का सृजन।

खेल

- जयपुर, जोधपुर तथा अलवर में भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रेनिंग सेंटरों की 55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राज्यस्तरीय युवा सम्मेलन हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- स्काउट आवासीय विद्यालय की स्थापना।

पुलिस

- 22000 कांस्टेबल्स की भर्ती, 10000 प्रक्रियाधीन, 12000 आगामी वर्ष।
- बीकानेर में नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान।
- 6 नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की स्थापना।
- 12 नवीन वृत्त कार्यालय एवं 21 थानें तथा 24 नई पुलिस चौकियों की स्थापना।
- महिला सुरक्षा हेतु टोल फ्री महिला सुरक्षा लाइन स्थापित करने की घोषणा।
- सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षक की नियुक्ति।
- जयपुर तथा जोधपुर शहरों में Integrated Traffic Management System लागू किया जाना।
- मैस भत्ते की दरों में वृद्धि।
- जोधपुर कमिश्नरेट में 17 पीसीआर वेंस।

न्याय

- फागी एवं चाकसू में कनिष्ठ खंड स्तर के सिविल न्यायाधीश न्यायालय।
- लालसोट, बाड़ी, सांगानेर व चौमूं में ADJ और ACJM स्तर के न्यायालय।
- चित्तौड़गढ़ एवं कोटा में NDPS न्यायालय।
- भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय।
- अधिवक्ता कल्याण कोष में 1 करोड़ रुपये का अनुदान।
- पुस्तकालयों की सुविधा हेतु बॉर काउंसिल को 10 करोड़ रुपये की सहायता।

परिवहन

- शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), दूदू, नोखा, भीनमाल एवं नोहर में जिला परिवहन कार्यालय।
- रेलमगरा, नावां, लूणकरणसर, भवानीमंडी एवं देवली में नये उप–परिवहन कार्यालय।
- ग्रामीण बस सेवाओं हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर का 50 करोड़ रुपये की लागत से एवं जोधपुर का 40 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण।

सड़क

- 6000 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों का 650 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण और नवीनकरण।
- बीओटी आधार पर 1712 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कों का 2743 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के बर–बिलाड़ा खंड को 4 लेन में परिवर्तित करना।
- कवई–सालपुरा से धर्नावद में पार्वती नदी तक राज्यमार्ग का पुनर्निमाण।
- टोंक जिले में केकड़ी से देवली के सड़क मार्ग पर नेगड़िया पुल के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ।
- 15 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण प्रस्तावित।
- श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों एवं चंबल की CAD की सड़कों का, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु, सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।
- विशेष सड़क निर्माण निधि के माध्यम से, ग्रामीण सड़कों, मिसिंग लिंक, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों इत्यादि हेतु 500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।

ऊर्जा

- प्रदेश की उत्पादन क्षमता में 4 हजार 628 मेगावाट की वृद्धि होकर कुल उत्पादन क्षमता 11168 मेगावाट। निकट भविष्य में राज्य क्षेत्र में 960 एवं निजी क्षेत्र 775 मेगावाट की परियोजनाओं का कार्य पूर्ण।
- आगामी वर्ष राज्य क्षेत्र में 900 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट क्षमता का सृजन।
- आगामी वर्ष पवन ऊर्जा में 400 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य।
- सौर ऊर्जा में स्वीकृत 1185 मेगावाट की 108 परियोजनाओं का आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण।
- वर्ष 2013–14 में 75000 नये कृषि कनेक्शन।
- जोधपुर में 'रूफ टॉप पॉवर जनरेशन स्कीम लागू होगी।
- बीपीएल परिवारों एवं ढाणियों में निवास करने वाले परिवारों को 2–2 सीएफएल।

जल संसाधन

- वर्ष 2013–14 में 50000 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा।
- JICA फंडेड राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 43000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ईसरदा बांध का 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण।
- कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत झालावाड़ एवं कोटा जिलों के 91 गाँवों में 14478 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा।
- माही परियोजना की हरिदेव जोशी नहर से वंचित क्षेत्र तथा पाटन क्षेत्र में 21 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा।
- 28 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर जिलों में 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करना।
- बारां, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों में एनिकटों का निर्माण।
- भाखरा नहर प्रणाली की इन्दरगढ़ माईनर को पक्का करने का कार्य।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण तथा भाखरा परियोजनाओं के 650 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य।
- विभिन्न बाँधों के रख–रखाव हेतु 189 करोड़ रुपये।
- अजमेर जिले के अंबापुर बाँध, पाली जिले के धारिया बाँध एवं जोधपुर जिले के बोरूंदा बाँध के पुनरूद्धार हेतु 30 करोड़ रुपये।

पेयजल

- आगामी वर्ष 3 हजार गाँवों व ढाणियों जिनमें 600 अनुसूचित जाति, 400 अनुसूचित जनजाति एवं 150 अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँव शामिल हैं, में पेयजल आपूर्ति।
- 20000 हैंडपंपों की स्थापना।
- जलप्रदाय योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज द्वितीय की क्रियान्विति शीघ्र प्रारंभ।
- प्रदेश के विभिन्न समस्याग्रस्त गाँवों एवं कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 18 नई परियोजनाओं के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं क्लस्टर विकास के कार्य प्रारंभ करना।

नगरीय विकास

- प्रदेश के विभिन्न कस्बों में 2500 करोड़ रुपये की लागत की सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- 22 शहरी जलप्रदाय योजनाओं का स्थानीय निकायों को और हस्तांतरण।

- जयपुर में हैबीटेट सेंटर की स्थापना।
- उदयपुर नगर परिषद का नगर निगम में क्रमोन्नयन।
- अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना।
- जोधपुर में रिकतिया भैंरूजी पर 111 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण।
- राजीव आवास योजना के अंतर्गत 14000 आवासों का निर्माण।
- जयपुर मैट्रो के द्वितीय चरण का कार्य पीपीपी मोड पर आगामी वर्ष प्रारंभ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- 600 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
- 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं 50 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1000 शैय्याओं की वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों की प्रत्येक तहसील में 2–2 निजी अस्पताल खोलने हेतु लागत का 60 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ 20 लाख रुपये, अन्य स्थानों पर लागत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 1 करोड़ रुपये की सहायता।
- हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग से ग्रस्त एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से चिकित्सा हेतु एक लाख रुपये तक की सहायता। बीपीएल परिवारों के सदस्यों को भी चिन्हित निजी संस्थानों में इन बीमारियों का इलाज करवाने हेतु एक लाख रुपये तक की सहायता।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना 7 अप्रेल 2013 से लागू।
- जिला चिकित्सालयों में 1–1 करोड़ रुपये की लागत से एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50–50 लाख रुपये की लागत से धर्मशालाओं का चरणबद्ध रूप से निर्माण।
- '108–एंबूलेंस' सेवा में 100 एंबूलेंसों की बढ़ोतरी।
- 200 नई जननी एक्सप्रेस।

चिकित्सा शिक्षा

- 300 एवं उससे अधिक शैय्याओं वाले 15 जिला अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से राजकीय अथवा पीपीपी मोड पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना।
- चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में 1250 शैय्याओं की वृद्धि।

- लैबर रूम्स की मरम्मत एवं उच्चीकरण हेतु जयपुर एवं जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों को 5–5 करोड़ रुपये एवं उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं झालावाड़ के महाविद्यालयों को 2–2 करोड़ रुपये।
- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में नये चिकित्सालय परिसर में कैथलेब, निर्माण कार्य एवं उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपये।
- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में OPD तथा Investigation हेतु अलग ब्लॉक के लिए 20 करोड़ रुपये।
- पीबीएम अस्पताल, बीकानेर के भवनों की मरम्मत एवं upgardation हेतु 10 करोड़ रुपये।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में बर्न यूनिट के upgardation तथा Super Specialities के पृथक वार्डों हेतु 17 करोड़ रुपये।
- सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में धनवन्तरी भवन में तीन अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण एवं आपातकालीन इकाई के सुदृढ़ीकरण हेतु 26 करोड़ रुपये।
- RSMML के सहयोग से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में 90 करोड़ रुपये की लागत से डाइग्नोस्टिक विंग का निर्माण।

अन्य

- वर्ष 2012–13 में गठित 43 तहसीलों में नवीन उपखंड कार्यालयों की स्थापना।
- 5 नई तहसीलों का सृजन एवं 8 उप–तहसीलों का तहसीलों में क्रमोन्नयन।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु प्रत्येक जिले में 1–1 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों का निर्माण।
- निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये।
- प्लास्टिक के कचरे के उपयोग हेतु प्लास्टिक मिश्रित डामर रोड का प्रायोगिक तौर पर निर्माण। 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आधार योजना की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व जिला मुख्यालय पर स्थाई आधार नामांकन केन्द्रों की स्थापना।
- Electronic Delivery of Services Bill लाने का प्रस्ताव।
- प्रदेश में रिफाईनरी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त।
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 25000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर दी जाने वाली सहायता राशि 20000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।

प्रेस नोट

कर प्रस्ताव

बजट 2013–14

वाणिज्यिक कर

प्रक्रिया का सरलीकरण –

- वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले व्यवहारियों के लिये लागू अधिकतम टर्नओवर की सीमा को 60 लाख रूपये से बढ़ाकर 75 लाख रूपये किया गया।
- व्यवहारियों की सुविधा के लिये विलासिता कर अधिनियम के अर्न्तगत रिटर्न एवं अपील संबंधी प्रावधानों को वैट अधिनियम के अनुरूप किया गया।
- वर्ष 2011–12 से संबंधित ज्यादा से ज्यादा कर निर्धारणों को Deemed श्रेणी में लाने के उद्देश्य से, वर्ष 2011–12 की सभी रिटर्न प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रेल, 2013 तक बढ़ाया गया।
- मासिक करदाता व्यवहारी पर आरोपित होने वाली लेट फीस की अधिकतम राशि रूपये 50 हजार से घटाकर 25 हजार रूपये की गई।
- ऐसे व्यवहारी जिनका किसी रिटर्न अवधि में टर्नओवर शून्य है, के लिये उक्त रिटर्न अवधि में आरोपित होने वाली लेट फीस की अधिकतम राशि रूपये 5 हजार से. घटाकर 1 हजार की गई।
- 30 सितम्बर, 2012 तक पारित कर निर्धारण आदेशों के लिये निर्यात हेतु प्रयुक्त घोषणा पत्र वैट 15 प्रस्तुत करने की समय सीमा को दिनांक 30 जून, 2013 तक बढ़ाया गया।
- बिना डिजीटल सिगनेचर (Digital Signature) के तथा विलम्ब से रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त पावती (acknowledgement) को विभाग में प्रस्तुत करने के लिये रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिवस तक की छूट दी गई।

ई–सुविधाऐं –

- आगामी वित्तीय वर्ष से वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा कर भुगतान की सुविधा दिनांक 1 मई, 2013 से e-GRAS के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रस्तावित ।
- वैट के अन्तर्गत अपंजीकृत व्यवहारियों e-GRAS के माध्यम से ई–पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित ।

- टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट को भी विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑन–लाईन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित ।
- व्यवहारियों को केन्द्रीय बिक्री कर के समस्त घोषणा पत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित ।
- ई–सुविधायें लागू होने पर वैट, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान), प्रवेश कर एवं विलासिता कर नियमों के अन्तर्गत प्रचलित 19 फार्मों का विलोपन ।

पंजीयन एवं मुद्रांक –

- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) का उपयोग चरणबद्ध रुप से चयनित उप पंजीयक कार्यालयों में लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया।
- सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर लागू ई–स्टाम्प को जारी किये जाने की व्यवस्था राज्य के शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना किया गया।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण –

- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सुचारू कम्प्यूटरीकृत संचालन के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष 474 कनिष्ठ लिपिक तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से 35 प्रोग्रामर के नये पदों के सृजन की घोषणा की गई।
- अजमेर में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिये नवीन भवन बनाये जाने की घोषणा की गई। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया।

कर दरों में राहत –

वैट –

- हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण हेतु खरीदे जाने वाले केम/कदम्ब तथा चंदन की लकड़ी पर देय कर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की गई।
- 1 प्रतिशत मुक्ति शुल्क की दर के अन्तर्गत आने वाले वर्क्स कान्ट्रेक्ट (works contract) से संबंधित कार्यों की मरम्मत (repair) के लिये मुक्ति शुल्क की दर को 3 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत किया गया।
- स्टेनलेस स्टील वायर व वायर रॉड को ''घोषित वस्तु (declared goods)'' की श्रेणी में नहीं मानने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण करते हुए स्टेनलेस स्टील वायर व वायर रॉड पर लागू कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

- कर दर संबंधी अनुसूचियों में वर्णित वस्तुओं के विवरण से उत्पन्न हो रहे व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से कतिपय वस्तुओं यथा computer related items, cash dispensers, loaders, processed meat, poultry पर कर दर स्पष्ट की गई।
- साबुत जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्ची, धनिया, मेथी, अजवायन, सूवा, असालिया, तथा कथोड़ी को वैट से कर मुक्त करने की घोषणा की गई।

विलासिता कर –

- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों एवं गांवों में, होटल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर, ऐसे सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला एवं मैरिज गार्डन को विलासिता कर से मुक्त किये जाने की घोषणा की गई।

पंजीयन एवं मुद्रांक –

- पत्नी एवं पुत्रियों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके पक्ष में निष्पादित होने वाले गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी दर को घटाकर 1 प्रतिशत या 1 लाख रूपये, जो भी कम हो, किये जाने की घोषणा की गई।
- विधवाओं के पक्ष में उसके माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, सास, श्वसुर, जेठ, देवर, ननद द्वारा निष्पादित होने वाले गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा की गई।
- सस्ती दरों पर आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेवलपर एग्रीमेन्ट पर वर्तमान में देय 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 1 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गई।

भूमि कर–

- सभी श्रेणी की भूमियों को आगामी वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से भूमि कर से मुक्त किये जाने की घोषणा की गई।

परिवहन–

- ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर संचालित नयी पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को पंजीयन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये दी गई विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किये जाने की घोषणा की गई।
- इस छूट का दायरा और बढ़ाते हुए दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक पंजीकृत होने वाली एवं ग्रामीण मार्गों एवं अन्य श्रेणी के मार्गों का परमिट प्राप्त कर संचालित होने वाली नयी पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को पंजीयन तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा की गई।

- अन्य श्रेणी मार्गों पर प्रतिदिन 300 किलोमीटर की सीमा तक संचालित हो रहे स्टेज कैरिज पर लागू विशेष पथ कर की अधिकतम सीमा को 25 हजार रूपये से घटाकर 12 हजार 500 रूपये किया गया।
- राज्य में मोटर ड्राईविंग स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों पर देय विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई।
- रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण हेतु कैन्टर एवं जिप्सी द्वारा देय विशेष पथ कर में 25 प्रतिशत की छूट दी गई।

कर प्रस्ताव

- तम्बाकू उत्पादों एवं पान मसाला के सेवन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इनकी कर दरों को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत किया गया।

पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर

- खनिज अधिकारों पर दिनांक 01.04.2013 से पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी कर प्रति टन प्रेषित खनिज पर निम्नानुसार पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर, लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया

1-	सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन (Cement Grade Limestone)	:	10 रूपये
2-	जिप्सम (Gypsum)	:	10 रूपये
3-	रॉक फास्फेट (Rock Phosphate)	:	1000रूपये
4-	रॉक फास्फेट (Rock Phosphate containing P_2O_5 less than 22%)	:	50 रूपये
5-	वॉलस्टनाइट, (Wollastonite)	:	60 रूपये
6-	सीसा (Lead), जस्ता (Zinc) तथा	:	150 रूपये
7-	तांबा (Copper) के किया जाना तथा	:	150 रूपये
8-	एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन (SMS Grade Limestone)	:	50 रूपये

- कर प्रस्तावों से लगभग 310 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय तथा 400 करोड़ रूपये से अधिक की राहत दी गई ।